न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **06/2023**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. ढलाराम पुत्र श्री भीयाराम 2. श्रीमती इमरती पत्नी स्व. श्री भीयाराम, जातियान जाट निवासी ग्रमा पाल तहसील कुडी भगतासनी जिला जोधपुर।		1. हेमाराम पुत्र श्री अनाराम 2. रूपाराम पुत्र श्री अनाराम 3. कुंभाराम पुत्र श्री अनाराम 4. परसाराम पुत्र श्री अनाराम 5. श्रीमती नोजी पत्नी श्री अनाराम 6. हडमान पुत्र श्री दुर्गाराम 7. श्रीमती बरजू पत्नी श्री दुर्गाराम 8. उदाराम पुत्र श्री मोड़ाराम 9. श्रीमती रूकमा पत्नी श्री मोड़ाराम जातियान जाट, निवासीगण ग्राम पाल तहसील कुडी भगतासनी जिला जोधपुर 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.12.2022 उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (दक्षिण) के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 94/2019 अनवान ढलाराम वगैरा बनाम हेमाराम वगैरा में पारित किया गया ।

उपस्थितिः—

1— श्री अशोक चौधरी, अपीलान्टस की ओर से।
2—श्री एम0 एस0 राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 6 की ओर से ।
3—श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से।
4—शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद तामीली/सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 20 दिसम्बर 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128, राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कब्ज काश्तसुदा कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 428 रकबा 36 बीघा 17 बिस्वां, खसरा संख्या 542/1 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वां, कुल खसरा 02 कुल रकबा 44 बीघा 11 बिस्वां, ग्राम पाल, तहसील कुडी भगतासनी, जोधपुर में स्थित है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2061—2064 की खैवट खतौनी संख्या नई 408 व पुरानी 781, 282

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

से स्पष्ट है जिसके पडौस में ही अप्रार्थी संख्या 01 से 09 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 543/3 व 542 आई हुई है। उत्तरी दिशा में खसरा संख्या 542/3 की भूमि तथा पश्चिमी दिशा में खसरा संख्या 542 की भूमि स्थित है। राजस्व नक्शे में उक्त खसरान् की भूमि की तरमीम की हुई है परन्तु मौके पर राजस्व नक्शे में की गई तरमीम के अनुसार मुटाम इत्यादि नहीं लगाये गये है, जिसका अप्रार्थी संख्या 01 से 09 के द्वारा नाजायज फायदा उठाते हुए प्रार्थीगण की भूमि में घुसने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में आये दिन दखल अंदाजी करते रहते है सीमा पर बाड व तारबंदी इत्यादि नहीं करने देते, लडाई–झगड़ा करना चाहते है, इस कारण प्रार्थीगण के द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाकर जहां प्रार्थीगण की भूमि की सीमाएं आती है, वहां पर स्थाई रूप से मुटाम लगाकर पत्थरगढी कर तारबंदी करवाना चाहते है, भविष्य में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 09 के मध्य भूमि की सीमाओं को लेकर किसी भी प्रकार का वाद–विवाद न हो, इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 09 से भूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया, तो अप्रार्थी संख्या 01 से 09 ने ऐसा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। प्रार्थीगण खसरा संख्या 542/1 के खातेदार है। अप्रार्थीगण खसरा संख्या 542/3 व 542 के खातेदार है तथा उक्त खसरान् को विभाजित करने वाली माठ (तारबंदी) अस्थाई होने से तथा राजस्व नक्शे से उक्त माठ मिलान नहीं होने से उक्त खसरान की सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 09 के मध्य विवाद बना हुआ है, इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त खसरान भूमि की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 09 तथा अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए और अप्रार्थीगण के द्वारा अपना–अपना जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2022 को अस्वीकार कर खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील प्रस्तुत गई है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित जाकर आदेश पारित किया है क्योंकि अपीलार्थीगण और रेस्पो0 संख्या 1 से 9 उक्त ख0सं0 542 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा के संयुक्त खातेदार थे तथा आपसी सहमति से चार भागों में बंटवारा कर लिया गया और बंटवाडे

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

के समय से अंदाज अनुसार मुटाम लगाकर सभी खातेदारों ने आपस में भूमि का बंटवाडा कर लिया और काबिज हो गया। तत्समय में भूमि की पैमाइश न ही की और न ही सक्षम अधिकारी से सीमाज्ञान करवाया गया।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ख0सं0 542/1 रकबा 7.14 बीघा भूमि अपीलार्थी की, ख0सं0 542 रकबा 17.07 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 से 7, ख0सं0 542/3 रकबा 14.02 बीधा भूमि अप्रार्थी संख्या 8 व 9 के हिस्से में रखी गई। ख0सं0 542/2 रकबा 16.17 बीघा भूमि अपीलार्थीगण व रेस्पो0 संख्या 1 से 9 के परिवार के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज की गई जिस पर वर्तमान में भूखण्ड काटे जा चुके है तथा ख0सं0 542, 542/2, 542/3 मौके पर खाली पडी है जिनकी अपीलार्थीगण व रेस्पो0 संख्या 1 काबिज काश्त चले आ रहे है। वर्तमान में सीमाज्ञान नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 से 9 के पास अधिक भूमि चली गई और राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे से बहुत अधिक भूमि है जबकि अपीलार्थीगण के पास 7.14 बीघा के स्थान पर 05 बीघा भूमि ही मौके पर है। रेस्पो0 संख्या 01 से 7 के हिस्से 17.07 बीघा भूमि आई परन्तु मौके पर करीब 23 बीघा है इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 8 व 9 के हिस्से में करीब 18 बीघा भूमि है। इस प्रकार अपीलार्थीगण के पास राजस्व रेकर्ड में दर्ज कब्जे भूमि से कम भूमि मौके पर है। इस कारण उक्त प्रकरण किसी भी प्रकार से राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली किये जाने की श्रेणी में नहीं आकर भूमि की सही पैमाइश व स्थाई मुटाम लगाने व सीमाओं का सही निर्धारण करने की श्रेणी में आता है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त खसरान भूमि में अपीलार्थीगण एवं रेस्पो0 संख्या 1 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य है एवं भूमि का बंटवाडा करने के उपरान्त कब्जा अनुसार मौके पर अपने अपने अंदाजा हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का की ओर से पेश मौका रिपोर्ट में भी अपीलार्थीगण के कब्जा–काश्त में रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि मोके पर कम बताई है जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 से 9 काबिज काश्त चले आ रहे है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्यों पर कानूनी रूप से गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलार्थीण के पत्थरगढी करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि विधि का सुस्थपित सिद्धान्त यह है कि जो खातेदार किसी खसरे का सहखातेदार रहा है और यदि उसको बंटवाडे में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे से भूमि कम दी गई है और वह भूमि दूसरे सहखातेदारों के पास दर्ज रकबे से अधिक भूमि है और वह काबिज है तो वह भूमि की सही पैमाइश करवाकर अपनी भूमि दूसरे सहखातेदारों से विधि अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीना पत्र अपीलार्थीगण का इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलार्थीगण विधिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है किन्तु सहखातेदार होने के कारण अपीलार्थी को कानूनी रूप से बेदखली का वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है बल्कि भूमि की सही पैमाइश करवाकर अपनी भूमि हासिल कर सकता है और सीमाओं को दुरूस्त करवा सकता है। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल एवं अन्य उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किये गये सिद्धान्तों से स्पष्ट है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2022 को अपाप्त किया जावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का पैरावार जवाब पेश किया जिसके अनुसार यह अंकित किया गया था कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के मूल निवास से संबंधित होने बाबत प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करे तथा प्रार्थना पत्र को माफिक राजस्व रेकर्ड गौर फरमाये जावे क्योकि अपीलान्टस/प्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 542/1 के पडौस में ही अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भमि खेत संख्या 542/3 व 542 आई हुई है परन्तु खसरा संख्या 542 जो संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत है उसके चार हिस्से हुए है जिसमें ख0सं0 542/2 भी इसी का हिस्सा है। खसरा संख्या 542/3 अप्रार्थी संख्या 9 व 10 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज बताया हैं जबकि अप्रार्थी संख्या 8 व 9 के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खसरा संख्या 542 की भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के नाम लिखा है जबकि वह अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सवत् 2061 से सवत् 2064 से स्पष्ट है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त भूमि का प्रशासन गावों के संग अभियान वर्ष 2000–2001 के समय केवल कागजो में तरमीम की गई थी। उस समय अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 तक जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 5 पर दर्ज श्रीमती नोजीदेवी का पति श्री अन्नाराम का स्वर्गवास वर्ष 1988 में हो गया जो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पिता थे। अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 पर दर्ज हडमानराम के पिता व श्रीमती

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बरजु के पति का भी स्वर्गवास वर्ष 1987 में हो जाने के समय अप्रार्थीगण छोटे थे। प्रार्थीगण के कहने से अप्रार्थीगण ने प्रशासन गावो के संग अभियान में केवल कागजो में तरमीम की थी उस समय अप्रार्थीगण पर रिश्तेदारो का दबाव डलवाकर हस्ताक्षर करवाये गये। साथ ही प्रार्थीगण का यहां यह कहना कि राजस्व नक्शे में की गई तरमीम के अनुसार मुटाम इत्यादि नही लगाये गये है जबकि मौके पर तारबन्दी की हुई है जिसके फोटोग्राफ एवं गुगल मेप जो मौके पर तारबन्दी को दर्शाता है

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 9 के द्वारा नाजायज फायदा उठाते हुए प्रार्थीगण की कृषि भूमि के चारों तरफ 7 फीट की पट्टिया रोपकर स्थाई तारबन्दी की हुई है। प्रार्थीगण का यह कहना कि प्रार्थीगण की भूमि की सीमाए जहॉ आती है वहा पर स्थाई रूप से मुटाम लगाकर पत्थरगढी कर तारबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कब्जाकाश्त सुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 428 रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा संख्या 542/1 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा के दोनो खसरो के चारो तरफ वर्षो पुरानी स्थाई मुटाम लगाकर तारबन्दी की हुई है ऐसे में स्थाई तारबन्दी करने के पश्चात किसी प्रकार का अनाधिकृत कब्जा कैसे हो सकता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज (पुश्तैनी) तो एक ही थे। ऐसे में उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 542, 542/1, 542/2 तथा 542/3 इन सभी चारो खसरो का सीमाज्ञान करवाकर स्थाई रूप से पत्थरगढी कराने के आदेश दिये जाते है तो अप्रार्थीगण तैयार है। प्रार्थीगण के पिताजी व अप्रार्थीगण हेमाराम के दादाजी व खसरा संख्या 542/2 के घीसाराम के पिताजी, तीनो संगे भाई थें। अप्रार्थीगण को बिना कटाण रास्ते का खसरा दिया गया प्रार्थीगण ने अपना खेत जिसका खसरा संख्या 428 है जो मैन रोड पर कटाण का रास्ता लगता है लिया है व प्रार्थीगण के बडे पिताजी जिनका खसरा संख्या 429 है जो भी मैन रोड पर आया हुआ है। अप्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 429/1 बिना कटाण रास्ते का खसरा दिया गया है एवं वह कागजो मे पूरा है परन्तु मौके पर नापने पर 1 बीघा 4 बिस्वा कम है। भूमि का सीमाकन करवाने हेतु तहसीलदार जोधपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण का खसरा संख्या 428 है जो मैन रोड पर कटाण का रास्ता लगता है को अपने हिस्से में लिया है वह प्रार्थीगण के बडे पिताजी जिनके बेटे घीसाराम व बलदेवराम है जिनका खसरा संख्या 429 है का माप किया गया था। जिसमें प्रार्थीगण का खसरा संख्या 428 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि मौके पर ज्यादा है व अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 429/1 की भूमि मौके पर 1 बीघा 4 बिस्वा कम है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जिस हेतु प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा संख्या 428 को अपनी सीमाज्ञान के अनुसार राजस्व नक्शे अनुसार सीमा पर रहने पर अप्रार्थीगण की जो भूमि 1 बीघा 4 बिस्वा जो मौके पर कम पड़ रही है वो पूरी हो रही है। उससे अप्रार्थीगण सहमत है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 429/1 के खसरा संख्या 429 की जो भूमि मौके पर 1 बीघा 19 बिस्वा ज्यादा है। जबकि वास्तविकता में उपरोक्त संयुक्त सहहिस्सेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि है अतः इस संयुक्त पुश्तैनी भूमि का जैसा की प्रशासन गावों के संग अभियान में बंटवारा किया गया था उसमें खसरा संख्या 429, 429/1 व 428 के मध्य खसरा संख्या 429/1 को अपनी पुश्तैनी भूमि से बाहर जाने या अन्य भूमि में जाने हेतु उक्त खसरा संख्या 429, 429/1 व 428 के मध्य जो रास्ता है उसे कटाण रास्ता घोषित किया जावे जिसके लिए अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 429 का तरमीम करने पर अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार जोधपुर से निवेदन किया गया था और तरमीम किया जा चुका है अप्रार्थीगण के ऐतराज करने के बाद भी तरमीम करना अप्रार्थीगण की प्रति सरासर अन्याय है। प्रार्थीगण की खसरा संख्या 542/1 अप्रार्थीगण खसरा संख्या 542/3 व 542 खातेदार बताया है जबकि इसी भूमि का एक टुकडा और हुआ है जिसका खसरा संख्या 542/2 है उसको भी साथ में नाप कर प्रशासन गावों के संग अभियान में तरमीम की उसी स्थान पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सबके संयुक्त भूमि के खसरान का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी कराने हेतु अप्रार्थीगण तैयार है परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि जो प्रार्थीगण के खसरा संख्या 428 के सामने है जो खसरा संख्या 429 वो मौके पर कम है वह उस में आने–जाने का रास्ता भी कटान का नही है जो कि मौके पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार काफी वर्षो पुराना माट के पास कच्चा रास्ता है उसे खसरा संख्या 428, 429 व 429/1 सबको चाहिए जिसको कटान का किया जावे क्योकि अप्रार्थीगण के पिता जी का स्वर्गवास हो जाने पर अप्रार्थीगण पर रिश्तेदारो का दबाव उलवाकर प्रशासन गावों के संग अभियान में उक्त संयुक्त कृषि भूमि का बटवारा करवाया गया जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 तक को भी बीच में खेत दिया गया जिसका खसरा संख्या 29 जिसकी मौके पर भूमि राजस्व रेकर्ड से 1 बीघा 4 बिस्वा कम है साथ ही खेत से बाहर जाने हेतु कटान का रास्ता भी नही है खेत से बाहर जाने हेतु प्रार्थीगण जिसका खसरा संख्या 428 है कई बार रास्ता बन्द करने की धमकिया भी दी है व देते है अतः इन तथ्यों को कन्सीडर करते हुए अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 542, 542/2, 542/3 व प्रार्थीगण की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 542 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 429 जो कि 1 बीघा 4 बिस्वा कम है जिसमें आने जाने का कटाण रास्ता करवाते हुए उक्त भूमि की सीमा पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश पारित किया जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि अपीलान्टस के खेत खसरा संख्या 428 रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा, ख0सं0 542/1 रकबा 07.14 बिस्वा ग्राम पाल में स्थित है। जिसके पडौस में रेस्पोडेन्टस की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 543/3 व ख0सं0 542 की भूमि आई हुई है जिसकी राजस्व नक्शे में बंटवाडे अनुसार तरमीम की हुई है परन्तु मौका भूमि पर राजस्व नक्शे अनुसार की गई तरमीम नहीं होकर मुटाम इत्यादि नहीं लगे होना उल्लेखित किया गया है। अपीलान्ट के ख0सं0 542/1 रकबा 7.14 बीघा भूमि का सही सीमाज्ञान नहीं होने के कारण मौके पर 05.00 बीघा भूमि पर ही मौके पर कब्जा काश्त होना दर्शित किया गया है तथा अन्य सहखातेदारों के पास बंटवाडे में आई भूमि से अधिक भूमि होना दर्शित किया गया है। इस बाबत अपीलान्टस के द्वारा अपने खसरे की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया है परन्तु अधीनसथ न्यायालय के द्वारा उनका प्रार्थना पत्र यह अंकित करते हुए अस्वीकार कर दिया कि मौके पर 02 बीघा पर कब्जा प्राप्त करने हेतु पत्थरगढी का आदेश उचित नहीं है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसीलदार कुडी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा। जाकर उल्लेखित खसरान संख्या भूमि का राजस्व नक्शे में हुई तरमीम अनुसार मौके पर सीमाज्ञान कराते हुए सीमाकंन करने तत्पश्चात पत्थरगढी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार कुडी को आदेशित किया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार कुडी को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलान्ट के खसरा संख्या 542/1 रकबा 07.14 बीघा भूमि का राजस्व नक्शे में हुई तरमीम अनुसार मौके पर सीमाज्ञान कराते हुए सीमाकंन करने तत्पश्चात पत्थरगढी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार कुडी को आदेशित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20 दिसम्बर 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर